फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सूरज राम बनाम कालूराम वगै0

ा नं0 :— 220/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी सं0.1 ने दिनांक 09.01.2025 को प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि मे अपनी हिस्से का सम्पूर्ण बेचान कर दिया है। अतः वादी सूरज राम के स्थान पर ललिता मीना को पक्षकार होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी को सूरज राम के स्थान पर पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। संशोधित उनवान पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी को पत्रावली में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुना गया। वकील वादी ने वादी सूरज राम के स्थान पर उनके सम्पूर्ण हिस्से का प्रार्थी/वादी ललिता मीना का नाम अंकन कर तकासमा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि वादी सं0 1 के स्थान पर वादी सं0 2 का नाम अंकन करते हुये मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के तकासमा किया जावें। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	